



सराहनीय कार्य इटवा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 19.08.2025

चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से चोरी का 01 टुल्लू पम्प मोटर, 02 पाइप लोहे के, 01 बैट्रा पावर जोन कम्पनी, 01 सिलेन्डर, 01 पंखा मय 03 पंखुड़ी किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में इटावा पुलिस थाना सैफई द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/ गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 19.08.2025 को थाना सैफई पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत हवाई पट्टी से टिमरुआ रोड पर भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि 02 व्यक्ति हरदोई बम्बा पुलिया के पास कही जाने की फिराक में है जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे है। सूचना पर तत्काल थाना सैफई पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये आवश्यक बल प्रयोग कर दोनों व्यक्तियों को हरदोई बम्बा के पास से पकड़ लिया गया।

पुलिस पूछताछ:-

पकड़े गये पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये उनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 01 टुल्लू पम्प मय मोटर, 02 पाइप लोहे के, 01 बैट्रा, 01 सिलेन्डर, 01 पंखा मय 03 पंखुड़ी बरामद की गयी।

पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने चोरी की निम्न घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया-

1. दिनांक 17/18.08.2025 की रात्रि को हम लोग मिलकर थाना सैफई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरदोई से सिचाई का टिल्लू पम्प चोरी किया था। उक्त घटना के संबंध मे थाना सैफई पर मु0अ0स0 205/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।
2. दिनांक 04.07.2025 को थाना सैफई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बलभद्रपुर के प्रा0विद्यालय से रसोई का सामान व पंखे चोरी कर लिये थे। उक्त घटना के संबंध में थाना सैफई पर मु0अ0स0 149/2025 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत है।
3. थाना सैफई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ककराई के पंचायत घर से चोरी कर लिया था। उक्त के घटना के संबंध में थाना सैफई पर मु0अ0स0 143/2025 धारा 305(E) बीएनएस पंजीकृत है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सैफई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 205/2025 धारा 303(2) बीएनएस एवं मु0अ0स0 149/2025 धारा 305 बीएनएस व मु0अ0स0 143/2025 धारा 305(E) बीएनएस में धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी की गयी।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 205/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना सैफई जनपद इटावा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रामवीर पुत्र अर्जुन सिंह निवासी हरदोई थाना सैफई जनपद इटावा उम्र 24 वर्ष।
2. हिमांशू पुत्र राजकुमार जाटव निवासी ग्राम हरदोई थाना सैफई जनपद इटावा उम्र 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त रामवीर पुत्र अर्जुन सिंह

1. मु0अ0स0 143/2025 धारा 305(E)/317(2) बीएनएस थाना सैफई जनपद इटावा ।
2. मु0अ0स0 149/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना सैफई जनपद इटावा ।
3. मु0अ0स0 205/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सैफई जनपद इटावा ।

अभियुक्त हिमांशू पुत्र राजकुमार जाटव

1. मु0अ0स0 143/2025 धारा 305(E)/317(2) बीएनएस थाना सैफई जनपद इटावा ।
2. मु0अ0स0 149/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना सैफई जनपद इटावा ।
3. मु0अ0स0 205/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सैफई जनपद इटावा ।

बरामदगी -

1. 01 टुल्लू पम्म मोटर
 2. 02 पाइप लोहे के
 3. 01 बैट्रा पावर जोन कम्पनी का
 4. 01 सिलेन्डर
 5. 01 पंखा मय 03 अदद पंखुडी
- (सम्बन्धित मु0अ0सं0 205/2025)
- (सम्बन्धित मु0अ0सं0 143/25)
- (सम्बन्धित मु0अ0सं0 149/2025)

पुलिस टीम - निरीक्षक श्री भूपेन्द्र सिंह राठी प्रभारी थाना सैफई, उ0नि0 ललित कुमार, उ0नि0 प्रशान्त कुमार, का0 अंजनी कुमार, का0 गौरव कुमार, का0 हिमांशू ।